

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 844]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2024 — पौष 3, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-07/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 14-क की उप-धारा (2) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 32-क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एवं पूर्व अधिसूचना क्र. एफ1-7/2014/18, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्वारा, नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिये व्यय की सीमाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

तालिका

स. क्र.	नगरीय स्थानीय निकाय का विवरण	2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या	निर्वाचन व्यय हेतु प्रस्तावित अधिकतम सीमा (महापौर/अध्यक्ष हेतु)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नगरपालिक निगम	पांच लाख से अधिक	25 लाख रुपये
		तीन लाख से पांच लाख	20 लाख रुपये
		तीन लाख से कम	15 लाख रुपये
2.	नगरपालिका परिषद	50 हजार या उससे ऊपर	10 लाख रुपये
		50 हजार से कम	8 लाख रुपये
3.	नगर पंचायत	—	6 लाख रुपये

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 1-7/2014/18. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2014/18 दिनांक 24-12-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 24th December 2024

NOTIFICATION

No. F 1-07/2014/18. – In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in consultation with the State Election Commission and in supersession of previous Notification No. F 1-7/2014/18, dated 12th December, 2024, the State Government, hereby, notifies the limits of expenditure for the election of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats, as follows:-

TABLE

S. No.	Details of Urban local body	Population according to the 2011 Census	The proposed maximum limit for election expenses (for Mayor/ President)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Municipal Corporation	above five lacs	Rs. 25 lacs
		three lacs to five lacs	Rs. 20 lacs
		below three lacs	Rs. 15 lacs
2.	Municipal Council	50 thousand or above	Rs. 10 lacs
		below 50 thousand	Rs. 8 lacs
3.	Nagar Panchayat	-	Rs. 6 lacs

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.